



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1938 (श०)

(सं० पटना 683) पटना, शुक्रवार, 19 अगस्त 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

2 अगस्त 2016

सं० वि०स०वि०-22/2016-3492/वि०स० ।—“बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 02 अगस्त, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय,

सचिव,

बिहार विधान-सभा ।

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016

[विंस०वि०-17/2016]

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) का संशोधन के लिए विधेयक भारत गणराज्य को सङ्सदवें वर्ष में बिहार राज्य विधान द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 8,1994 की धारा 2 में संशोधन।**—(1) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा—2 की उपधारा

(ग) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (ग ग) जोड़ी जाएगी,:—

“(ग ग) **चालन अनुज्ञाति**” का वहीं अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) में इसके लिए समनुदेशित है;”

(2) **बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप धाराएँ (घ घ क) जोड़ी जायेगी, :-**

“(घ घ) “**जिला समिति**” से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा 215 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला सङ्कर सुरक्षा समिति;

(घ घ क) ‘**निधि**’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 6 ख के अधीन गठित सङ्कर सुरक्षा निधि;”

(3) **बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप धारा (ट ट) जोड़ी जायेगी, :-**

(ट ट) ‘**सङ्कर सुरक्षा उपकर**’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 6 क के अधीन उद्गृहीत उपकर;

(4) **बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 2 की उपधारा (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप धाराएँ (ढ ढ) और (ढ ढ क) जोड़ी जायेगी :-**

“(ढ ढ) “**राज्य परिषद्**” से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा 215 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सङ्कर सुरक्षा परिषद;

(ढ ढ क) ‘**राज्य सरकार**’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार । ”

3. **बिहार अधिनियम 8, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग, एवं 6घ का अंतःस्थापन।**—

बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएँ जोड़ी जाएंगी :-

“**6क, सङ्कर सुरक्षा उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।**— (1) सङ्कर सुरक्षा उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित दर से किया जायेगा:-

(क) अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार एक मुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहनों से “वाहन मूल्य” का एक प्रतिशत;

(ग) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार से इतर कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन के “वार्षिक कर” का एक प्रतिशत:

परन्तु उक्त उपकर अनुज्ञाप्ति की विधिमान्यता के दौरान एक बार से अधिक उदगृहीत नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरणः— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) “अनुज्ञाप्तिधारी” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके नाम से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा चालन अनुज्ञाप्ति निर्गत किया गया है।

(ii) “वाहन के मूल्य” से अभिप्रेत है; बिहार कर वर्धित करारोपण अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 की धारा-27) के अधीन वाहन पर उदगृहीत कर की रकम के बिना वाहन का मूल्य;

(2) उप धारा (1) के अधीन उदग्रहणीय हरेक उपकर यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वामी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके पास मोटर वाहन का कब्जा हो अथवा नियंत्रण हो, द्वारा संदेय होगा।

(3) उप धारा (1) के अधीन उदगृहीत उपकर धारा 3 के अधीन नियुक्त कर निर्धारक पदाधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर संगृहीत किया जाएगा जो विहित किया जाए।

(4) जहाँ उप धारा (1) के अधीन उदगृहीत उपकर का संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति उप धारा (3) के अधीन विहित समय के भीतर ऐसे उपकर का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में हरेक माह में देय उपकर के 2.5% के बराबर की राशि अथवा उसके किसी भाग का संदाय करेगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत और संगृहीत उपकर के आगमों में से संग्रहण और वसूली के खर्चों को सरकार द्वारा विनिश्चित रीति से घटाने के पश्चात् उसे धारा 6ख के अधीन स्थापित निधि में विनियोजित किया जाएगा।

6ख निधि की स्थापना और उपयोग—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो “बिहार सड़क सुरक्षा निधि” कहलाएगी।

(2) निधि में निम्नलिखित में जमा किया जाएगा:—

(क) धारा 6क की उपधारा (5) के अधीन विनियोजित राशि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;

(ग) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;

(घ) निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं अथवा संगठनों से प्राप्त अंशदान।

(3) राज्य सरकार हरेक वर्ष निधि में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59, 1988) की धारा 200 के अधीन पूर्व वर्ष में उदगृहीत प्रशमन करनेवाली फीस के दस प्रतिशत के बराबर की राशि अंशदान करेगी।

(4) निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा:—

(क) सड़क सुरक्षा कार्यक्रम;

(ख) सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम;

(ग) सड़क सुरक्षा के सम्बद्ध उपकरणों की खरीद;

(घ) सड़क सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर अनुमोदित अध्ययन और शोध के निधिकरण;

(ड.) सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निधिकरण;

(च) अभिघात देखभाल कार्यक्रमों एवं संबंधित क्रियाकलापों;

(छ) सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे अन्य व्यय जिसे राज्य सरकार उचित समझे;

(ज) कोई अन्य प्रयोजन जिसे विहित किया जाए।

6ग निधि का निहित होना और प्रशासन।—(1) निधि, राज्य परिषद् में निहित होगी और राज्य परिषद् द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) राज्य परिषद् अपने में निहित निधि का संचालन ऐसी रीति से करेगी जो विहित की जाए।

(3) सभी राशियों जो निधि के हिस्से हैं उसी बैंक में जमा की जायेंगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती हैं अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और खाता ऐसी रीति से संचालित की जाएगी जो राज्य परिषद् विनिश्चय करे।

6घ अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति।—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किसी अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा रूपांतरण कर सकेगी।

4. बिहार अधिनियम 8, 1994 में नयी अनुसूची का अंतःस्थापन।—बिहार अधिनियम 8, 1994 की अनुसूची III के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची IV जोड़ी जाएगी:—

अनुसूची IV

क्रम सं०	अनुज्ञाप्तिधारी का वर्ग	उप कर की राशि रु० में
1	नौसिखिया की अनुज्ञाप्ति	50
2	गियर अथवा बिना गियरवाले दुपहिया के लिए अनुज्ञाप्ति।	100
3	हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञाप्ति—गैर परिवहन	150
4	हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञाप्ति— परिवहन	200
5	मध्यम और भारी मोटर वाहन के लिए अनुज्ञाप्ति	500

वित्तीय संलेख

सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु पूर्व से गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना के उद्देश्य से बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में उपकर अच्यारोपण के लिए नयी धाराओं के अंतःस्थापन हेतु बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

इसी उद्देश्य से बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित कराना आवश्यक है।

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(चंद्रिका राय)

भार-साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएँ एवं इससे होने वाली मृत्यु राज्य के लिए चिंता का विषय है। इसके सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभाव अकल्पनीय है। अतः सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु 'बिहार राज्य सुरक्षा कार्ययोजना' तैयार की जा चुकी है। इस कार्ययोजना को लागू करने हेतु निधि की आवश्यकता है। इसी के आलोक में 'सड़क सुरक्षा निधि' की स्थापना एवं इसके राजस्व श्रोतों के प्रावधान का प्रस्ताव है। अतः बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित कराना अभीष्ट है।

(चंद्रिका राय)

भार-साधक सदस्य

पटना

सचिव,

दिनांक 02 अगस्त 2016

बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 683-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>